

प्रस्ताव की राज्य कम सं० FP/UP/Rail/44309/2020

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

## भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम सं० FP/UP/Rail/44309/2020

|        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7      | परियोजना / स्कीम का स्थान                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| (i)    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                                    | उत्तर प्रदेश                                                              |
| (ii)   | जिला                                                                                                                                                                                                                       | मऊ                                                                        |
| (iii)  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                                  | साठवाठ प्रभाग, मऊ                                                         |
| (iv)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०में)                                                                                                                                                               | 29.5769 हे०                                                               |
| (v)    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                                        | संरक्षित वन                                                               |
| (vi)   | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाय।                                                              | संलग्न है                                                                 |
| (vii)  | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                                           | 0.3                                                                       |
| (viii) | भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।                                                                                                                                                            | ये भू-भाग भू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है।                      |
| (ix)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित सील की वन सीमा                                                                                                                                                                            | प्रस्तावित वनेत्तर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।          |
| (x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य, जीवमंडल आदि का भाग है (यदि हो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)                                                                 | नहीं                                                                      |
| (xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।                                                                                       | नहीं                                                                      |
| (xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थिति है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें। | नहीं                                                                      |
| 8      | उपभोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्प के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                                 | हां, प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।         |
| 9      | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।                            | नहीं                                                                      |
| 10     | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| (i)    | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।                                                                                          | प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न किया जायेगा। |
| (ii)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।                                                                                                                     | प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न किया जायेगा। |

|    |       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (iii) | रूपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।                                                            | प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न किया जायेगा।                                                                            |
|    | (iv)  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।                                                                                                                              | प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा अंकित किया जाना है।                                                                            |
|    | (v)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया) | प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर द्वारा संलग्न किया जायेगा।                                                                            |
| 11 |       | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)                                              | संलग्न है।                                                                                                                                           |
| 12 |       | विभाग/जिला प्रोफाइल                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
|    | (i)   | जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल                                                                                                                                                       | 171300 हे०                                                                                                                                           |
|    | (ii)  | जिले का वन क्षेत्र                                                                                                                                                              | 519.027 हे०                                                                                                                                          |
|    | (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र                                                                                                            | 10 मामले, 17.3802 हे०                                                                                                                                |
|    | (iv)  | 1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण                                                                                                                         | 21.72 हे०                                                                                                                                            |
|    |       | (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि                                                                                                                               | 4.61 हे०                                                                                                                                             |
|    |       | (ख) वनेत्तर भूमि                                                                                                                                                                | 17.11 हे०                                                                                                                                            |
|    | (v)   | प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
|    |       | (क) वन भूमि पर                                                                                                                                                                  | 4.61 हे०                                                                                                                                             |
|    |       | (ख) वनेत्तर भूमि पर                                                                                                                                                             | 17.11 हे०                                                                                                                                            |
| 13 |       | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश                                                                               | विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम 29.5769 हे० संरक्षित वनभूमि का प्रयोग वनेत्तर कार्यों, भटनी-औड़िहार रेलपथ दोहरीकरण निर्माण हेतु संस्तुति की जाती है। |

दिनांक : 18.12.2020

स्थान : .....

हस्ताक्षर

सरकारी मोहर

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
गाजीपुर भोजन-मंडल